न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 17/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2018/00047

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. मोहनदास पुत्र श्री भुरदासजी जाति वैष्णव निवासी छोडा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. पुखराज पुत्र दुदाजी जाति चौधरी निवासी छोडा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) (हाल सरपंच, ग्राम पंचायत दुदापुरा) 2. मनरूप पुत्र जोधाजी जाति लुहार निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) 3. बाबुलाल पुत्र गुणेशजी जाति लुहार निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) 4. श्रीमती मंजू देवी पत्नी पुखराज जाति चौधरी निवासी छोडा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) (सरपंच पत्नी) 5. ग्राम पंचायत दुदापुरा तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

अधिवक्ता :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीएम जोशी उपस्थित

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शंकरलाल गहलोत अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दि:-22-2-21

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.05.2008 एवं उक्त प्रस्ताव की पालना में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 16 दिनांक 07.05.2008 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया हैं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस एंव ग्राम पंचायत का जैर निगरानी रेकर्ड तलब कर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत दुदापुरा तहसील देसूरी द्वारा अप्रार्थीगण मनरूप, बाबूलाल निवासीगण घाणेराव को ग्राम छोडा मे नाप की भूमि के संबध में स्वामित्व प्रमाण पत्र पुस्तैनी एवं कब्जाशुदा होने का अंकित करते हुए जारी किया है जिसमें उक्त भूमि का नाप दक्षिणी एवं उत्तरी भुजा 57–57 फीट पुर्व भुजा 30 फिट एवं पश्चिम भूमि 27 फिट बतायी गई है उक्त प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.05.2008 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा स्वीकृत करना बताकर प्रमाण पत्र दिनांक 07.05.2008 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का न तो कोई प्रावधान है न ऐसी कोई विधि है। न ही इस संबध में प्रस्ताव पारित करने का क्षेत्राधिकार है इस प्रकार क्षेत्राधिकार से परे एवं क्षेत्राधिकार विहीन प्रस्ताव व प्रमाण पत्र जारी करना विधिक रूप से शुन्य होने से रद्द करने के आदेश प्रदान करावें।

उक्त समस्त कार्यवाही भूमि को हडपने के उद्देश्य से की है सरपंच पुखराज द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी होने के दुसरे ही दिन पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 2008000217 दिनांक 08.05.2008 के माध्यम से 63356/– रूपये के मुद्रांक पर 40000/– के प्रतिफल मूल्य बताकर दस्तावेज अपनी पत्नी के नाम करवाया है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही मिलावटी फर्जी व धोखाधड़ी पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। पुखराज ने सरपंच रह[illegible] यह प्रमाण पत्र जारी कर अपनी पत्नी के नाम भूमि क्रय करना उल्लेखित [illegible] समस्त कार्यवाही सरपंच द्वारा की गई है। सचिव के जानकारी [illegible] है। प्रार्थना पत्र स्टाम्प सभी गलत तरीके से लिए [illegible] के दस्तावेज ग्राम[illegible]त जारी नहीं कर सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:17:03 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

इस प्रकार जारी ab initio void प्रमाण पत्र के बाबत ग्राम पंचायत दूदापुरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.05.2008 एवं उसकी पालना में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 16 दिनांक 07.05.2008 रद्द किया जावे।

वकील अप्रार्थी अनुपस्थित होने अप्रार्थीगण को आवाजें लगाई गई कोई भी उपस्थित नहीं हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव एवं आदेशों के वैधानिकता नियमितता एवं शुद्धता को चैक किये जाने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत दुदापुरा द्वारा जरिये प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.05.2008 पारित किया जाकर उसकी पालना में स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 16 दिनांक 07.05.2008 जारी किया गया है जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान ही नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा लिया गया जैर निगरानी प्रस्ताव ab initio void होने से प्रस्ताव एवं स्वामित्व प्रमाण पत्र निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दुदापुरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 06.05.2008 एवं उसकी पालना में जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र संख्या 16 दिनांक 07.05.2008 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-2-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:17:03 IST
Reason: SelfAttested